

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2015/

भोपाल, दिनांक / / 2015

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 13.11.2014 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा उपरान्त समिति द्वारा की गई अनुसंशा के आधार पर निम्नलिखित मलेरिया निरीक्षक को सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्रीमती मैना परमार	अनुसूचित जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन
2	श्रीमती रामबाई उईके	अनुसूचित जन-जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी
3	श्रीमती ममता परस्ते	अनुसूचित जन-जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया

1. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा। अतिशेष की स्थिति में कर्मचारियों को कर्तव्य पर उपस्थित नहीं कराया जावे।
4. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी जहां उन्हें पदस्थ किया गया है के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जाना आवश्यक होगा। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित न कराते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा

अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
3. अध्यक्ष, विभागीय प्रदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय ।
4. संयुक्त संचालक (मलेरिया) स्थानीय कार्यालय ।
5. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन / रीवा / जबलपुर संभाग मध्यप्रदेश ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन / मण्डला / कटनी / बालाघाट / उमरिया, मध्यप्रदेश ।
8. जिला मलेरिया अधिकारी उज्जैन / मण्डला / कटनी / बालाघाट / उमरिया, मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित कर्मचारियों, की ओर उपरोक्तानुसार पालनार्थ ।

09/03/15
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश